भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3580

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

26 फाल्गुन, 1942 (शक)

सोशल और डिजिटल मीडिया के लिए मार्गनिदेश

3580. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्मों और डिजिटल मीडिया सहित सोशल मीडिया को विशिष्ट विनियमों के दायरे में लेकर उनके लिए किन्हीं मार्गनिदेशों की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को जांच/साइबर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कहे जाने के 72 घंटों के भीतर आपत्तिजनक सामग्री के स्रोत की पहचान करने का निदेश दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मार्गनिदेशों के तहत सोशल मीडिया पर अन्य और कौन सी शर्तें अध्यारोपित की गई हैं; और

(घ) क्या उक्त नियमों से नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) से **(ग)** : सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ निर्देश तथा डिजीटल मीडिया इथिक्स कोड) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों में आवश्यक है कि माध्यस्थों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओटीटी स्ट्रीनिंग प्लेटफार्म तथा अन्य डिजिटल मीडिया जैसा कि निर्धारित निश्चित अपेक्षित सावधानियों का पालन करें। इन नियमों में यह भी आवश्यक है कि ऐसी संस्थाओं जो, ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशक हैं तथा जो मुख्य रूप से ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के हस्तांतरण को समर्थ बनाती हैं, को निर्धारित निश्चित अपेक्षित सावधानियों व आचार संहिता का पालन करना होगा।

इन नियमों में यह भी स्पष्ट करना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित माध्यस्थ, कानूनी आदेश की प्राप्ति के 72 घंटों के भीतर, शीघ्र ही अपने नियंत्रण अथवा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, अथवा किसी सहायतार्थ सरकारी एजेंसी जो कानूनी रूप से अन्वेषण या रक्षात्मक या साइबर सुरक्षा गतिविधियों, पहचान के सत्यापन, अथवा कुछ समय के लिए लागू कानून के अधीन अपराधों की रोकथाम, खोजबीन, अन्वेषण, या अभियोजन के लिए अथवा साइबर सुरक्षा घटनाओं के लिए, सूचना प्रदान करेंगे।

(घ): सरकार जैसाकि धारा 19(2) में निर्दिष्ट विषयगत संगत प्रतिबंध सहित संविधान की धारा 19(1) में निहित वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है।

*****